न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 238/17 **निर्णय दिनांकः– 16.08.2018**

1. आदूराम पुत्र दुलाराम जाति मेघवाल निवासी चक 4 आरजेडी तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. श्रीमती रामीदेवी पत्नी हरजीराम जाति जाट निवासी संसारदेसर तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 14–03–2017
उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़

उपस्थितः–

1. श्री जयचन्दलाल सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री राजेश बैद, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 14–03–2017 जिसके द्वारा वादगत् भूमि का बतौर विशेष आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट के पिता दुलाराम के नाम चक 4 आरजेडी (सी) के मुरब्बा नम्बर 198/33 के किला नम्बर 1 ता 6, 18 ता 25 तादादी 14 बीघा एवं मुरब्बा नम्बर 198/41 के किला नम्बर 6 ता 8, 13 ता 18, 21 ता 25 तादादी 13 बीघा 18 बिस्वा कुल तादादी 27 बीघा 18 बिस्वा खातेदारी भूमि चली आ रही है। जिसके मुरब्बा नम्बर 198/41 के किला नम्बर 1 ता 5, 9 ता 12, 19, 20 तादादी 10 बीघा 12 बिस्वा भूमि राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज है। जिसे मिडियम पेच/विशेष आवंटन कराने की प्रथम वरियता अपीलांट की बनती है।

उन्होनें आगे बताया कि अदालत मातहत ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया ना ही सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये बिना वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। उक्त आवंटन विशेष आवंटन नियमों के विपरीत किया गया है क्योंकि वादगत् भूमि के आवंटन हेतु रेस्पोडेन्ट द्वारा किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा चक 8 जीएम के मुरब्बा नम्बर 235/36 व 235/45 के आवंटन बाबत् दिनांक 28—06—1999 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जो अन्य आवंटी रतीराम पुत्र सुरजाराम व ओम प्रकाश पुत्र सुरजाराम को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की सहमति विशेष आवंटन हो चुका है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वतः ही निष्प्रभावी हो चुका है। उक्त तथ्य अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत होते हुए भी अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट के रकबे में है तथा वादगत् भूमि के आवंटन की प्रथम वरियता अपीलांट की ही बनती है। उक्त समस्त तथ्य अदालत मातहत के समक्ष मौजूद रहते हुए भी अदालत मातहत द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट को बेजा फायदा पहॅुचाने की नियत मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य आदेश है। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व वादगत् भूमि के आवंटन हेतु प्राप्त समस्त प्रार्थना पत्रों को आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष

प्रस्तुत किया जाना चाहिए था तथा वादगत् भूमि का आवंटन आवंटन सलाहकार समिति की राय के उपरान्त ही किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत ने आवंटन सलाहकार समिति की मिटिंग बुलाये बिना ही स्वयं अपनी मनमर्जी से बिना वरियता के वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। ऐसी स्थिति में बिना आवंटन सलाहकार समिति की राये के किया गया आवंटन प्रारम्भतः ही शून्य एवं एब ईनिशियो वाईड आदेश है।

अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व ना तो मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई ना ही अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया है। अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही एकतरफा तौर पर बिना किसी प्रकार की जॉच किये रेस्पोडेन्ट के आवेदन पर मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से वादगत् भूमि का आवंटन किया गया है। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। ऐसे मामलों में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा चक 8 जीएम के मुरब्बा नम्बर 235/36 की 10 बीघा 16 बिस्वा भूमि के विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अन्य आवेदक रतीराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट का भी आवेदन होने पर दोनों आवेदकों की समान वरियता कायम की गई। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा उक्त भूमि रतीराम को आवंटित करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को विकल्प में अन्य रकबा आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त आदेश की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा चक 4 आरजेडी(सी) के मुरब्बा नम्बर के मुरब्बा नम्बर 198/41 में 10 बीघा 12 बिस्वा बीघा भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रेस्पोडेन्ट द्वारा तमात सबूत यथा तहसील की भूमि तस्दीक प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, सीलिंग सीमा से भूमि कम होने का प्रमाण पत्र, निर्वाचन सूची वर्ष 1988, 2003, सद्भावी कृषक प्रमाण पत्र व आवेदक व पत्नि के दो पासपार्ट साईज फोटो आदि प्रस्तुत किये गये थे।

अदालत मातहत द्वारा इन तमाम सबूतों की जॉच की गई तथा जॉच उपरान्त अदालत मातहत द्वारा पाया गया कि वादगत् भूमि के आवंटन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का एकल आवेदन है तथा प्रार्थी की सर्वोच्य वरियता होने पर तथा आवंटन हेतु तमाम औपचारिकता पूर्ण होने पर वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया हैं।

उन्होनें आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन पश्चात् तमाम राशि जमा करवाई जा चुकी है तथा मौके पर अपीलांट का वर्तमान में कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादगत् भूमि के आवंटन की तमाम प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। जहॉ तक अपीलांट का कथन कि वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट का प्रार्थना पत्र जैरकार है। स्वीकार योग्य कथन नहीं है। अपीलांट द्वारा न तेा अदालत मातहत के समक्ष नाही न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य ही प्रस्तुत किया गया है जिससे प्रथम दृष्टया साबित हो कि वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट का प्रार्थना पत्र जैरकार अथवा पैण्डिग हो। केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर अपीलांट को वादगत् भूमि के आवंटन का पात्र नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. (1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से वादगत् भूमि चक 4 आरजेडी(सी) के मुरब्बा नम्बर 198/41 में 10 बीघा 12 बिस्वा भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रकरण में अपीलांट का कथन है कि अपीलांट के पिता दुलाराम के नाम चक 4 आरजेडी (सी) के मुरब्बा नम्बर 198/33 के किला नम्बर 1 ता 6, 18 ता 25 तादादी 14 बीघा एवं मुरब्बा नम्बर 198/41

के किला नम्बर 6 ता 8, 13 ता 18, 21 ता 25 तादादी 13 बीघा 18 बिस्वा कुल तादादी 27 बीघा 18 बिस्वा खातेदारी भूमि चली आ रही है। अतः मुरब्बा नम्बर 198/41 के किला नम्बर 1 ता 5, 9 ता 12, 19, 20 तादादी 10 बीघा 12 बिस्वा भूमि जोकि राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज है के मिडियम पेच/विशेष आवंटन कराने की प्रथम वरियता अपीलांट की बनती है। इस संबंध में हमने अदालत मातहत की पत्रावली व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

(3) प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा न तो अदालत मातहत के समक्ष ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है ना ही अपीलांट द्वारा अपने आवंटन प्रार्थना पत्र की फोटो प्रति या उनके द्वारा **वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अरनेस्ट मनी 500/— रूपये जरिये जी.ए. 55 खजानाराज में जमा करवाये गये है कि फोटो प्रति** आदि किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अपीलांट के वादगत् भूमि के आवंटन के अधिकार उत्पन्न होते हो व अपीलांट की अपील व कथनों को कोई बल प्राप्त होता हो।

(4) अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते हुए अभिलिखित किया गया है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा आवेदित रकबा चक 8 जीएम के मुरब्बा नम्बर 235/36 की 10 बीघा 16 बिस्वा अनकमाण्ड भूमि के बदले अन्य भूमि चक 4 आरजेडी(सी) के मुरब्बा नम्बर 198/41 की 10 बीघा 12 बिस्वा भूमि विकल्प में आवंटित किये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर वादगत् भूमि शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज होने व विवादरहित होने के आधार पर पूर्व में आवेदित भूमि के विकल्प में इगानप क्षेत्र में राजकीय भूमि आवंटन एवं विक्रय नियम 1975 के नियम 13(ए)(5)(4) के द्वितीय परन्तुक के अध्यधीन अन्य प्रस्तावित भूमि राजपत्र में प्रकाशित होने व अन्य किसी आवेदक का आवेदन लम्बित नहीं होने के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की वरियता मानते हुए वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन पश्चात् तमाम राशि खजाना राज में जमा करवाई जा चुकी है। इस प्रकार आवंटन की

तमाम प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर अपीलांट को वादगत् भूमि के आवंटन का पात्र धोषित नहीं किया जा सकता है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश की पुष्टि की जाती है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ दिनांक 14—03—2017 यथावत बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 16.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर